

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-118-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 मार्च 2008—चैत्र 11, शक 1930

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2008

क्र. 2463-एफ.आर.एस.-18-2002-तेरह.—“मध्यप्रदेश राजपत्र”, दिनांक 30 सितम्बर, 2003 में प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 के नियम 6 के उप-नियम (8) के खण्ड (ग), नियम 7 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख), उप-नियम (10), उप-नियम (11), नियम 10 के उप-नियम (1), नियम 12 के उप-नियम (1) तथा नियम 13 के उप-नियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सरकार, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश राजपत्र”, दिनांक 29 दिसम्बर, 2007 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश क्रमांक 8391-एफ.आर.एस.-18-2002-तेरह, दिनांक 29 दिसम्बर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त आदेश में, खण्ड 1 (क) में, शब्द “चौतीस मास”, जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द “छत्तीस मास” स्थापित किए जाएं.

No. 2463-F.R.S.-18-2002-XIII.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-rule (8) of Rule 6, clause (b) of sub-rule (2), sub-rule (10), sub-rule (11) of Rule 7, sub-rule (1) of Rule 10, sub-rule (1) of Rule 12 and sub-rule (2) of Rule 13 of the Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003, published in “Madhya Pradesh Gazette”, dated 30th September, 2003, the Government of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this Department's Order No. 8391-F.R.S.-18-2002-XIII, dated 29th December, 2007, published in the “Madhya Pradesh Gazette” dated 29th December, 2007, namely:—

AMENDMENT

In the said order, in clause 1 (a), for the words “Thirty Four Months”, wherever they occur, the words “Thirty Six Months” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. धारीवाल, उपसचिव.